संख्या:14/2021/आई/106089/2021-फाईल न0-10-19099/35/2021-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर, 2021

विषय: प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर में पुनरीक्षण के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-13/2021/आई/105515/2021-फाईल न0-10-19099/35/2021-22, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 का विषय "चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के दिनांक **24-06-2009** के पूर्व सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनर्निर्धारण" के स्थान पर "प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर में पुनरीक्षण के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन" पढ़ा जाये।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
4- समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।